

प्रेषक,

डा० दीपक कोहली,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक अप्रैल, 2018

विषय:- रिलायंस 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे० आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल (ओ०एफ०सी०) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1528/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/24318/2017, दिनांक 23.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना में आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, अतएव वन अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर-1(3) में विहित व्यवस्थाक्रम से आच्छादित है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है :-

प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा।

कृपया तदनुसार विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने तत्कम में प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(डा० दीपक कोहली)

अनु सचिव